न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 08 / 2020

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2020 / 00121

प्रार्थी

1 झूठाराम पुत्र भारताराम
जति–ब्राह्माण, निवासी–दाता,
त्हसील–सांचौर, जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 उदा पुत्र उका
2 पूनमा पुत्र उका
3 गणपतलाल पुत्र मनजीराम
4 मांगीलाल पुत्र मनजीराम
जातियान–ब्राह्माम्ण, निवासीगण–
पुर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
5 अमृतलाल पुत्र जोईताराम
6 मणी पत्नी जोईताराम
7 मूलाराम पुत्र हेमाराम
8 छगनलाल पुत्र हेमाराम
9 दिनेश कुमार पुत्र भूपाराम
10 दिव्येशकुमार पुत्र भूपाराम
11 मोरी पत्नी भूपाराम
जातियान–ब्राह्माम्ण, निवासीगण–
दाता, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
12 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 13.10.2020

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 5 लगायत 12 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 17.01.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी के [illegible] कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम–दाता, पटवार हल्का–नानोल, उपखण्ड क्षेत्र सांचौर में खेत खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.035 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी की ढ़ाणी स्थित है। उक्त खेत प्रार्थी के कब्जा[illegible] बंट का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम–दाता के खसरा नंबर 94 रकबा 1.76 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 0.05 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1371/95 रकबा 0.06 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि पांच मीटर के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने में आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता नेलाणी नाडी से होता हुआ बावलिया गांव से रानीवाड़ा जाने वाली पक्की सड़क को जोड़ता है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार आवागमन में बाधा कारित न करें, न करावें तथा न आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व न करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 उपस्थित आये, पर्याप्त अवसर प्रदाने ककने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1, 5 लगायत 12 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम–दाता, पटवार हल्का–नानोल, उपखण्ड क्षेत्र–सांचौर में खेत खसरा नंबर 95 रकबा 0.035 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी की ढ़ाणी स्थित है। उक्त खेत प्रार्थी के कब्जेकाश्त व बंट का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम–दाता के खसरा नंबर 94 रकबा 1.76 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 0.05 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1371/95 रकबा 0.06 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि पांच मीटर के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है अतः उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज, नजरी नक्शा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.07.2024 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, [illegible] जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया [illegible] बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। भू–अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.07.2024 से स्पष्ट है कि वर्तमान में मौके अनुसार वर्तमान में मौके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 91 एवं 1442/92, खसरा नंबर 1372/95 तथा 1371/95 में से आपसी सहमति द्वारा रास्ता लेकर आवागमन किया जा रहा है अतः प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से वास्तविक आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होकर केवल सुविधा हेतु मार्ग चाहा गया है अतएवः प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने एवं पूर्व से मार्ग की उपलब्धता होने से उक्त राजस्व प्रार्थना–पत्र प्रार्थी भली प्रकार से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रा[illegible] अंतर्गत [illegible] 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता, वैकल्पिक मार्ग एवं आत्यंतिक आवश्यकता साबित नहीं होने व सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर